कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक /प्र0गा0सं0/2021/ 41/2021 (2021/235) दिनांक 20.10.2021

–:: आदेश ::–

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर नान्दशा जागीर में प्रार्थिया रामु बाई पत्नि भंवर लाल ब्राहमण नि.नान्दसा जागीर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दसा के खसरा संख्या 9,10,12,14,16/1ठ कुल रकबा 05. 15बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 10.08.1976 को खातेदार श्री राजमल पि. जड़ावचन्द महाजन सा. कोशीथल से क्रय की गई, उक्त दस्तावेजों के आधार पर क्रेता डालचन्द पि. खुमा ब्राहमण नि नान्दशा के नाम पर जरिये ना0स0 806 निर्णय दिनांक 08.10.1977 को क्रेता के नाम दर्ज हुयी। तभी से उक्त भूमि पर क्रेता का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।नवीन भूप्रबन्ध के अनुसार नवीन रिकॉर्ड में भूमि क्रेता के नाम पर दर्ज नहीं कर पुनः उक्त भूमि विक्रेता के नाम पर दर्ज कर दी गई। विक्रेता डालचन्द पिता खुमा ब्राह्मण फौत हो चुका है।उसके विधिक वारिसान मौके पर काबिज है। हमारे नाम पर भूमि दर्ज कराई जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया गया कि प्रार्थिया के ससुर द्वारा साबिक आ0न0 9,10,12,14,16/1ठ रकबा 5–15 बीघ भूमि दिनांक 10.08.1976 को क्रय की गई जिसकी पालना में नामा0 806 दि. 08.10.1977 को निर्णित हुआ जिसका अमल सेवन से छूट गया। खाता पुनः विक्रेता के नाम दर्ज हो गया।नवीन भूप्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात के नवीन खसरा नं. 4 रकबा 1–24 हे0 कायम हुये जो वर्तमान में खातेदार राजमल पि0 जड़ावचन्द महाजन नि. कोशीथल के नाम दर्ज हैं। मौके पर कब्जा क्रेता के विधिक वारिसान का है।

प्रस्तुत प्रकरण की जांच सलग्न रिकॉर्ड एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर पर मनन किया जाकर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रार्थिया के ससुर द्वारा भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदी गई है। मौके पर कब्जा विधिक वारिसान का है। क्रेता के पक्ष में नामान्तरण भी हो चुका था। किन्तु नवीनं रोटेशन में स्वीकृतशुदा नामान्तरणकरण का अमल छूट जाने से भूमि क्रेता के नाम पर दर्ज नहीं होकर विक्रेता के नाम पर ही चली आ रही है। नवीन भूप्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात का नवीन खसरा नम्बर, मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आ.न. 4 रकबा 1–24 हेक. भूमि दर्ज हुई जो साबिक रकबे के अनुपात में सही है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर केता के बजाय मृतक केता के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित है । अतः आदेश दिया जाता है कि खातेदार राजमल पिता जड़ावचन्द महाजन के द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 08.10.1977 के अनुसार क्रेता डालचन्द पिता खुमा ब्राहमण के फौत होने से उनके विधिक वारिसान जो शजरे में दर्शाये गये है उनकी जांच कर मृतक के विधिक वारिसान के नाम भूमि [illegible] जावे। पालनार्थ आदेश की प्रति तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:14:43 IST
Reason: SelfAttested

20.10.2021

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :–1. तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ।
2. प्रार्थियां रामुबाई पत्नि भंवर लाल ब्राहमण नि. नान्दशा को सूचनार्थ।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा (राज.)